

विषय : - W.P. No. 5737/2015 डॉ. अरुण के. मेसूरी
विनोद शूनीयन काक इंद्रिया स्वे अन्ये।

—X—

R.No. 1206/2015/38-3

उच्च न्यायालय जयपुर के छाफ
पु क्र 8066 दिनांक 28.4.15 का कृपया
अवलोकन करें।

2/ — उच्च न्यायालय के छाफ W.P. No.
5737/2015 डॉ. अरुण के. मेसूरी विनोद शूनीयन P-1/L
काक इंद्रिया स्वे अन्ये मायिका छाफ हुई
है।

3/ — अतः छाफ मायिका की यात्रा
उपि अगुका उच्च न्यायालय के गेज कर
प्रकरण में निमग्नानुसार मायिकक मायिका
किसी वकील के घर दिखा जाना अगि
उपि होना है।

कृपया अवेक्षण

5/3
28.6.15

म. अ.
U.S. म.
DS (v)
U.S. म.
S. म.
0

मि. अ.
28/5
28/5

P
30/5/15
30/5
30/5

30/5/2015
30/5

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- W.P. NO. 5737/2015 डॉ. आर्.के. मंसूरी
विनोद मुनीश्वर आपा इंडिया से आया ।

पूर्व पृष्ठ सं: — —X—

काशिका जो बड़े बड़े बड़े बड़े का प्रकाश
प्रकाशिका प्रकाशिका है।

~~U.S. In~~

King
2/6/15
Done
5/1

2-6-15

576

Why
576115

स्वच्छता अभियान - स्वच्छता है स्वास्थ्य की नींव।

~~U.S.A.~~
~~U.S.A.~~
SOUTH
6

~~6/6/15~~
 6/6

8-6-15

D/18/11/2/01/05
6/6/15

Whe
6/6/55

925
18/3/2000
6/6/15

विषय : डब्ल्यू0पी0 कमांक 5737/2015 श्री/श्रीमती डॉ. ~~मार्फत के. जंगूनी~~ विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य ।

का विभाग

—0—

पंजी. कमांक- 181A/2015/38-3

कृपया विचाराधीन पत्र तथा संलग्न याचिका का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/ श्री/श्रीमती ~~मार्फत के. जंगूनी~~ द्वारा मान0 उच्च न्यायालय ~~पटना~~ में डब्ल्यू0पी0 कमांक 5737/15 दायर की गई है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को पत्र की याचिका सहित छायाप्रति भेजकर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं प्रतिरक्षण संबंधी कार्यवाही करते हुए प्रकरण में प्रभारी अधिकारी को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने के लिए लिखा जाना उचित होगा ।

तदनुसार पत्र अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है ।

अनुभाग अधिकारी

U.S.A

कृपया उपर दीय तथा ^{पंजी} 5787/15 करने के पूर्व अपलोड नार्थ प्रस्तुत है ।

5787/15

578

DS (Y)

U.S.A

50/15

0

7/8/15

618/15

1292

7/8/15

7/8/15

म -

R.NO. 1819/2015/38-3

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- W.P.NO. 5737/15 आई.के. मंसूरी विरुद्ध प्रभुसिंह
साफ इंडिया एवं अन्य। W.A. 1080/2015

का विभाग

पूर्व प्रवृत्ति :-

—X—

R.NO. 298/2016/38-3

P-87/L

उच्च न्यायालय राजस्थान से प्राप्त रिट
आदेश नं. 1080/2015 से रिट विनिर्देशन नं. 5737/15
दिनांक 05.02.2016 का कृपया अवलोकन करें।

2/- उच्च न्यायालय राजस्थान से प्राप्त रिट
आदेश नं. 1080/2015 से रिट विनिर्देशन नं.
5737/2015 आई.के. मंसूरी विरुद्ध प्रभुसिंह
साफ इंडिया एवं अन्य के संबंध में निर्णय
दिनांक 05.11.2015 प्राप्त हुआ है।

कृपया प्राप्त पत्रिका निर्णय अवलोकनार्थ

उत्तर दें।

आ.प्र.

11-02-16

P-1-2/c

उपरोक्त टीप का कृपया अवलोकन हो। उल्लेख है कि डॉ.
आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव(प्रतिनियुक्ति पर एन.सी.टी.ई.जयपुर में
नियुक्त) द्वारा मा0 न्यायालय जयपुर में विभाग के आदेश दिनांक 25.
3.2015 के विरुद्ध याचिका क्र0 5737/2015 तथा स्पेशल
अपील(रिट) नं. 1080 प्रस्तुत की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय,
जयपुर द्वारा उक्त याचिका एवं अपील पर दिनांक 05.2.2016 को
निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है :-

"In view of above discussion, we are not inclinrf to
uphold the impugned judgment of learned single judge
and also to not agree with the view expressed therein, in so
far as in upholds the order dated 25.03.2015 and the
consequential order dated 29.04.2015. While setting aside

P-124/c

R.No. 1814/2015/38-3

मंत्री जी.
उच्च शिक्षा

उपवीस सचिवालय

विषय :- W.R.No. 5737/15 आई.के. मंसूरी विरुद्ध राज्य
शिक्षा आयोग एवं राज्य। W.A.No. 1080/2015.

का विभाग

श्री उच्च न्यायालय :-

the impugned judgment to that extent, we allow the appeal and quash and set aside the orders dated 25.03.2015 and 29.04.2015 relieving the appellant, with direction to respondent NCTE to forthwith allow the appellant to resume the duties on the post of Regional Director, NCTE, NRC, Jaipur, to complete the remainder of the tenure of three years. Period between date of relieving of the appellant and till hi rejoins shall have to be treated dies-non, not entitling the appellant to any monetary benefits therefor, although this period would count towards the total tenure of three years on deputation. We however make it clear that it would be open to the respondent NCTE to again approach the Government of Madhya Pradesh for their formal consent at the time of extension of deputation for third year. Which shall be considered by the Government of Madhya Pradesh in view of the observations made herein-above, especially para 21. Supra."

P-1221/C

B

उल्लेख है कि डॉ.आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव के प्रतिनियुक्ति संबंधी पृथक मूल नस्ती मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर को प्रेषित की गई है तथा अभी वापस प्राप्त नहीं हुई। अतः माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के परिप्रक्ष्य में नस्ती आगामी कार्यवाही हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ0अ0(अव।पर)
ओ.एस.डी.(गुप्ता)

माननीय उच्च न्यायालय
जयपुर राजस्थान के द्वारा
पारित निर्णय 25.3.15 का
प्रवर्तन न करना चाहेंगे।
जिसमें आ. प्रवर्तन अपील
स्वीकार करते हुये किया
का आदेश दिनांक 25.3.15
जो प्रतिनियुक्ति कार्यवाही

11/2/16

P-89-125/C

विषय :- W.P. NO. 5737/15 आर्किटेक्चर में स्लूरी विच्छेद मुद्रा
आपके कृपया एवं कानून। W.A. NO. 1080/2015

प्रतिपक्ष से :-

हो सम्बन्धित है तथा कि देश
दिनांक 29.4.15 को NCTE
द्वारा अनुमति दे दी है दोनों
देशों को अवाह्य किया गया है।

प्रतिपक्ष पर उल्लेखित
देशों में उल्लेखित किया गया है
कि NCTE द्वारा अनुमति दे दी है
लेकिन म.उ. सरकार को फाया की गई
तब म.उ. सरकार को देशों के पदा-
- 21 में उल्लेखित अउल्लेखित कार्यवाही
की गई।

श्री प्रमुख की मूल नहीं
माननीय उच्च न्यायालय को यादी गई
थी जिसे उम्मीद अधिवर्ती के माध्यम
से उत्तर की गई थी। कि.
उत्तर: उम्मीद अधिवर्ती को मूल नहीं
है कि देशों की उम्मीद उम्मीद के साथ
सम्बन्धित अधिवर्ती की राय सहित
उम्मीद किया जाना होगा तबोपान्त
माननीय उच्च न्यायालय को यादी गई
जिसे उम्मीद में यालु अधिवर्ती
SLP दायर करने के सम्बन्ध

डब्ल्यूपी-2 सांख्यिक

विषय: डब्ल्यूपी. 5737/15 आई के मंसूरी विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य तथा डब्ल्यूपी. 1080/2015

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

मे निवेदन लिखा जाना अपित
उत्तर लेना है

क्र. सहमान की दशा में
इपला पूर्व हल पर 'C' प्रदेशार्थ

PS (HE) 050 के अपरुक्त वीप 12/2/16
वाक्या अवलोकन 'C' का अनुमोदन करना

चलाना
मनाज
उत्पन्न
00 अतिव-

14/2/16
(उमाशंकर गुप्ता)
मंत्री

हकमीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्योग
मध्यप्रदेश सरकार

12/2/16

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा

050/AG

15/2/16

15/2/16

15/2

15/2

15/2

नस्ती क्र. 170
आवक दिनांक 12/02/16
जावक दिनांक 15/02/16

-8-

आर-1819/2015/38-3

डब्ल्यू.पी. 5737/15 आई के मंसूरी विरुद्ध यूनिशन ऑफ

विषय: इंडिया एवं अन्य तथा डब्ल्यू.पी. 1080/2015

उन्नीस-२ सचिवालय

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

पूर्व पृष्ठ पर माननीय मंत्री जी की दी गई
के संबंध में ज्ञात है कि प्रतिनिधित्व के
संबंधित बात नती पटल -। पर कार्यवाही
की जा रही है।

कृपया माननीय मंत्री

~~माननीय~~
O.S.D. (B)

play
16/2/16

16.2.16

~~माननीय~~
0

15/2

play
17/2/16

माननीय मंत्री
17/2

विषय:

प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंसूरी,
उपकुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

मंत्रि जी,
उच्च शिक्षा

पूर्व पृष्ठ से :-

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त फैंक्स/पत्र दिनांक 23.02.2016 का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

पत्र में उल्लेख अनुसार मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डॉ.आई.के.मंसूरी (मूल पद उपकुलसचिव) की एन.सी.टी.ई. में प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 06.3.2016 से एक वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेख है कि डॉ.मंसूरी की मूल नस्ती न्यायालय प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अति०संचालक, इंदौर को भेजी गई थी। नस्ती वापस करने हेतु पत्र दिनांक 16.2.16 द्वारा लिखा गया था, परन्तु आज दिनांक तक वापस प्राप्त नहीं हुई है।

अतः एन.सी.टी.ई. नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत।

ओ.एस.डी. (गुप्ता)

रूपका यह सहमत हो

ले 'A' हेतु एप्ल पत्र भेजा

जयपुर

आदेशार्थ

PS(ME)

0.5/16

SO/14

मूल नस्ती आधुनिक है।
सहमत प्रस्तुत है।

38/16
5/3/16

पत्र-101

उभाकाता उमराव
सचिव/आयुक्त

उच्च शिक्षा विभाग

1193
24/2/16

54 10

R-18/9/2015/38-3

एफ-17-2/2015/38-3

हज्जीस-२ सचिवालय

मंत्री जी,
उच्च शिक्षा

विषयप्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंसूरी,
उपकुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

पंजी0 क्र. 495/16, 496/16 एवं 511/16

वि0 पत्रों का कृपया अवलोकन हो। विभाग के पत्र दिनांक 21.1.16 द्वारा न्याया0प्रकरण के तारतम्य में विषयांकित नस्ती मूलतः अति0संचालक, उच्च शिक्षा इंदौर को भेजी गई थी। उक्त नस्ती अति0संचालक, इंदौर के पत्र दिनांक 29.2.16 के माध्यम से मूलतः/यथावत प्राप्त हो गई है।

2/ अति0संचालक, इंदौर अन्य पत्र क्र. 133, दिनांक 29.2.15 के माध्यम से याचिका क्र. 1080/15 डॉ.आई.के.मंसूरी विरुद्ध शासन में मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.2.16 एवं शासकीय अधिवक्ता(हाईकोर्ट जयपुर) के अभिमत को प्रति उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की है। शासकीय अधिवक्ता का अभिमत पृ. 129से 135/सी. पर तथा मा0 न्यायालय का निर्णय पृ. 140 से 169/सी. पर कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

3/ इसके अतिरिक्त एन.सी.टी.ई.नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.2.2016 का भी कृपया अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके द्वारा मा0न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में डॉ.आई.के.मंसूरी, उपकुलसचिव की एन.सी.टी.ई. में प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 06.3.16 से आगामी एक वर्ष तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

अतः टीप पैरा-2 एवं 3 के परिप्रेक्ष्य में नस्ती प्रकरण के निराकरण के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत।

उपर सचिव-3

O.S.D.(AG)

कृपया शासकीय अधिवक्ता के
अभिमत का पत्राचार पृष्ठ
- 135/16 पर अवलोकन
करना चाहिए/जिसमें उद्धरण है
उच्च न्यायालय में SLP
दाया है जो अभिमत

5/3/16

5/3/16

उभाकान्त उमराव
सचिव/आयुक्त
उ.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

R-1819/2015/383

एफ-17-2/2015/38-3

52
11

विषय:

प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि- डॉ.आई.के.मंसूरी,
उपकुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

दिना है / कृपया कार्यालयीन
टीप के अवलोकन उपरान्त
अपने सहमत होने पर SLP
दाखल करने हेतु माननीय मंत्री
उच्च शिक्षा से प्रशासकीय अनुमोदन
प्राप्त करना चाहेंगे।

PS(ME) 21/सचिव उच्च शिक्षा के
सहायक SLP के प्रशासकीय डॉ. अशोक गुप्ता
अनुमोदन हेतु चाली

विरोध कार्यवाही अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल

मंत्री जी
उच्च शिक्षा

प्रो. वि. वि.

3

9/3/16
(निमोशिकर गुप्ता)
मंत्री

उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

OSD/AG

26/11

11/3/16

11/3/16
14/3/16

उमाकान्त उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
4CS-01

नसी र. 336 मंत्रो/सचिव एवं को.वि./उच्च शिक्षा
आवक दिनांक 9/03/2016
जावक दिनांक 10/03/16

R.NO. 1819/2005/88-3

9

मंत्री जी,
उच्च शिक्षा

का विभाग

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - W.P. NO. 5137/15 मंत्रि. वि. संसूची विच्छेद प्रमाण
मार्फत नैटिआ से नव्य कृपा W.P. 1080/2005.

पूर्व पृष्ठकै: -

—x—

पृष्ठ 10-11/एन. पर संलग्न उद्धरण टीप का कृपया अवलोकन हो, जिसके अनुसार प्रकरण में एस.एल.पी. दायर किए जाने के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय को भेजी जाना है। AD इतर पत्र 29-2-16 एवं पत्र पृ. 128 से 169/एन. संलग्न है।

कृपया प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार आगामी कार्यवाही हेतु नस्ती आयुक्त, उच्च शिक्षा को अंकित करना चाहेंगे।

ओ.एस.डी. (गुप्ता)

15.3.16

कृपया पृष्ठ N-11 पर
SLP के लिए उच्च शिक्षा
नस्ती का अवलोकन
करना चाहेंगे।

न्यायालयी नस्ती के
साथ विधि विभाग से
नस्ती हेतु प्रत्येक विधि-
विभाग जाना है।

क्र. 'A' के साथ नस्ती
विधि विभाग भेजने के लिए
नस्ती (HKE) को प्रमाण
करना चाहेंगे।

A

2586
18/3/16

PS (HKE)
OSD (ATG) / CHG
OSD (ILP)

3884
16/3/16

18/3
2286 3884
18/3/16

546
22/3/16

डबल्यू पी. नं० 5737/15- आई.के.मंसूरी विरुद्ध यूनियन ऑफ
इंडिया एवं अन्य तथा डबल्यू पी. नं० 1080/2015

विषय:

छब्बीस-२ सचिवालय

उच्च शिक्षा
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक...

पंजी क्र. 114/-माप्र/16
अशा.

विषय :-

D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015
with stay application No. 15097/2015

in

S.B. civil writ petition 5737/2015 Dr. I.K. mansoori Vs Union of India and others में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति बाबत।

-0-

1. डॉ० आई.के. मंसूरी, उप कुलसचिव, द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5737/2015 उनके एनसीटी रिजनल सेंटर, जयपुर में प्रतिनियुक्ति वापस करने एवं शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के आदेश के परिपालन न करने के कारण निलंबन के विरोध माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान खण्डपीठ जयपुर के समक्ष दायर किया गया।
2. प्रकरण में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर को प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
3. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान उनके निलंबन आदेश को अपास्त करते हुए दिनांक 05.11.2015 को अंतिम निर्णय पारित करते हुए डॉ० आई.के. मंसूरी को निर्देशित किया कि वे शासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2015 के परिपालन में कार्यभार ग्रहण करें।
4. डॉ० आई.के. मंसूरी द्वारा डब्ल्यू.पी. 5737/2015 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2015 के विरोध में डबल बेंच के समक्ष सिविल स्पेशल अपील 1080/2015 दायर की जिसमें प्रभारी अधिकारी द्वारा समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया।
5. माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ, जयपुर ने दिनांक 05.02.2016 को अंतिम निर्णय पारित किया, जिसमें शासन के द्वारा रखे गये पक्ष को अमान्य करते हुए माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अमान्य किया गया साथ ही डॉ० आई.के. मंसूरी द्वारा प्रस्तुत अपील को मान्य किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एनसीटी को यह निर्देशित किया कि वे डॉ० आई.के. मंसूरी की सेवायें क्षेत्रीय संचालक, एनसीटी, जयपुर में तीन वर्षों के लिये ले साथ ही मध्यप्रदेश शासन को निर्देशित किया गया है कि वे डॉ० आई.के. मंसूरी की प्रतिनियुक्ति के आदेश समय-समय पर तीन वर्ष तक बढ़ाएं।
6. इस संबंध में श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राजस्थान, खण्डपीठ जयपुर के द्वारा अभिमत दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है क्योंकि सर्वप्रथम मध्यप्रदेश शासन के द्वारा एक वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी।
7. प्रकरण की संक्षेपिका संलग्न हैं।
8. प्रकरण में एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति हेतु माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा का प्रशासकीय अनुमोदन पूर्व पृष्ठ एन-11 पर प्राप्त हो चुका है।

C/170

C/02

C/82

C/35

C/89

C/140

मिरनार...

3347

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल

पंजी क्रमांक. 114/9427/1-4/16

विषय :-

D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015
with stay application No. 15097/2015

in

S.B. civil writ petition 5737/2015 Dr. I.K. mansoori Vs Union of India and others में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति बाबत।

-0-

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जयपुर के अभिमत अनुसार विषयांकित प्रकरण में एस.एल.पी. दायर की जाना है। कृपया D.B. civil special Appeal (writ) No.1080/2015 with stay application No. 15097/2015 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरुद्ध एस.एल.पी. दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि विभाग की ओर अंकित करना चाहे।

3.8. 65/ A अनुसार एस एल पी दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि-विभाग की ओर अंकित करना चाहिए।

आयुक्त/सचिव
विधि-विभाग

22/03/16

उमाकान्त उमराव
सचिव/आयुक्त
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

CHIE	
No.	316
Date	22/3/16
22/3/16	